न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 71/2026

दायर दिनांक: 12.03.2026

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

– प्रार्थी

बनाम

प्रशासक ग्राम पंचायत सेमलीखाम पंचायत समिति पिडावा तहसील रायपुर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनाक : 27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की सहमति बहस सुनी गई। प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड द्वारा पेश ग्राम दोबडा के हाल खाता सं. 247 किता 8 रकबा 23.4623 है. की जमाबंदी सं. 2081 सेटलमेंट विभाग के मिलान क्षेत्रफल, पुराना खाता सं. 230 किता 8 रकबा 23. 2569 है. की जमाबंदी सं. 2074–77, हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.03.2026 एवं ग्राम पंचायत सेमलीखाम का स्वीकारात्मक जवाब दिनांक 20.03.2026 का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नया ख.नं. 104 रकबा 8.5970 है. किस्म गे.मु.आबादी हाल सेटलमेंट के दौरान गत ख.नं. 784 रकबा 0.6576 है., किस्म चरागाह व ख.नं. 89 रकबा 7.5752 है. किस्म चरागाह से मिलकर बनाया गया है। उभयपक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि सेंटलमेंट के दौरान त्रुटीवश उक्त चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तित कर गे.मु. आबादी कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जावे। उक्त त्रुटी सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर सेंटलमेंट के दौरान ग्राम दोबडा प0म0 सेमलीखाम तहसील रायपुर की जमाबन्दी सं. 2081 के खाता संख्या 247 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (भूमि की किस्म [illegible] अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निम्नलिखित रूप [illegible] शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3

क्रम संख्या	ग्राम / पटवार मण्डल / तहसील	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम दोबडा प0म0 सेमलीखाम तहसील रायपुर	104 रकबा 8.5970 है.	गे.मु. आबादी	चरागाह हिस्सा सम्पूर्ण व अन्य सामान काम हेतु

2. परिणामस्वरूप तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

27/03/26

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner